न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 11/2015

तारीख दायरा—19.03.2015

तारीख निर्णय—23.05.2016

1. श्री दिनेश चन्द्र पिता ओगडमल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती नर्बदा बाई बेवा ओगडमल ब्राहमण निवासी जसवन्तगझ तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री रेवाशंकर पिता कन्हैयालाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
2. श्री खेमशंकर पिता कन्हैयालाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
3. श्रीमती रूपाबाई बेवा कन्हैयालाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
4. श्री दिनेश कुमार पिता केवलराम ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
5. श्री मोहनलाल पिता केवलराम ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती पार्वती बाई बेवा केवलराम ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
7. श्रीमती कसनीबाई बेवा भागीरथ ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
8. श्री नारायणलाल पिता रूपलाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
9. श्री शांतिलाल पिता रूपलाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
10. श्री पुष्कर लाल पिता रूपलाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
11. श्रीमती सोवनी बाई बेवा रूपलाल ब्राहमण निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से— श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2066 से 69 के खाता संख्या 288 में

वर्णित आराजियात किता 48 कुल रकबा 1.1600 है0 भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर मौखिक बंटवाडे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में बंटवाडा नही होने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास भी नही कर पा रहा है एवं भूमि का संपरिवर्तन भी नही करा पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। वादग्रस्त आराजियात के विभाजन में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नही होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जसवन्तगढ की आराजी नम्बर 1636 रकबा 0.0150, 1743/1 रकबा 0.0150, 1750 रकबा 0.0100, 3513 रकबा 0.0400, 3834 रकबा 0.0350, 3837/1 रकबा 0.0050, 3838 रकबा 0.0100, 3855 रकबा 0.0050, 3907 रकबा 0.0450, 3926/1 रकबा 0.0150, 3868 रकबा 0.0200 किता 11 कुल रकबा 0.2150 है0 भूमि का दिनेश चन्द्र पिता ओगडमल, नर्बदाबाई बेवा ओगडमल ब्राहमण, आराजी नम्बर 1743 मी. रकबा 0.0600, 1747 रकबा 0.0150, 1749 रकबा 0.0250, 1754 रकबा 0.0200, 3340 रकबा 0.0350, 3517 रकबा 0.0200, 3521 रकबा 0.0150, 3522 रकबा 0.0200, 3803

रकबा 0.0500, 3824 रकबा 0.0300, 3835 रकबा 0.0100, 3836 रकबा 0.0100, 3837 मी. रकबा 0.0050, 3839 रकबा 0.0350, 3840 रकबा 0.0100, 3841 रकबा 0.0200, 3842 रकबा 0.0200, 3854 रकबा 0.0050, 3869 रकबा 0.0150, 3883 रकबा 0.0250, 3892 रकबा 0.0100, 3895 रकबा 0.0250, 3896 रकबा 0.0250, 3903 रकबा 0.0300, 3904 रकबा 0.0400, 3908 रकबा 0.0150, 3909 रकबा 0.0250, 3912 रकबा 0.0200, 3913 रकबा 0.0300, 3914 रकबा 0.0250, 3915 रकबा 0.0250, 3921 रकबा 0.0150, 3923 रकबा 0.0150, 3926 मी. रकबा 0.0150, 4121 रकबा 0.0350, 3891 रकबा 0.0400 किता 36 कुल रकबा 0.8350 है0 भूमि का रूपलाल पिता कमला 1/4, रेवाशंकर, खेमशंकर पिता कन्हैयालयल, रूपाबाई बेवा कन्हैयालाल 1/4, दिनेश कुमार, मोहनलाल पिता केवलराम, पार्वतीबाई पतिं स्व. केवलराम 1/4, कसनीबाई बेवा भागीरथ 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 1638 रकबा 0.0600, 3520 रकबा 0.0200, 4078 रकबा 0.0150, 4079 रकबा 0.0150 किता 04 कुल रकबा 0.1100 है0 भूमि दिनेश चन्द्र पिता ओगडमल, नर्बदा बाई बेवा ओगडमल 1/5, रूपलाल पिता कमला 1/5, रेवाशंकर, खेमशंकर पिता कन्हैयालाल, रूपाबाई बेवा कन्हैयालाल 1/5 दिनेश कुमार, मोहनलाल पिता केवलराम, पार्वतीबाई पत्नी स्व. केवलराम 1/5 कसनीबाई बेवा भागीरथ 1/5 के खातेदारी में रखा जाती है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर